सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 378/18 **निर्णय दिनांकः 30.05.2019**

1. प्रकाशदत्त पुत्र औंकारदत्त जाति जोतकी निवासी नापासर तहसील व जिला बीकानेर हाल निवासी चक 3 पीएसएसएम तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोलायत।
2. ताराचन्द पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी रामपुरा मटोरियान तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 08–01–1991
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 08–01–1991 जिसके द्वारा अपीलांट् को भूमिहीन में आवंटित भूमि 13–ए में विज्ञापित होते हुए आवंटन करके पुनः आवंटित भूमि का विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवटन कर दिया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट को 23 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र मानते हुए दिनांक 08–01–1999 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से चक 3

पीएसएसएम के मुरब्बा नम्बर 101/5 के किला नम्क्बर 1 में 17 बिस्वा, किला नम्बर 2 व 9 में 2 बीघा, किला नम्बर 10 में 17 बिस्वा, किला नम्बर 11 में 17 बिस्वा, किला नम्बर 20 में 17 बिस्वा, किला नम्बर 21 में 17 बिस्वा तादादी 7 बीघा 5 बिस्वा कमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 101/14 के किला नम्बर 6, 7, 13 ता 17, 23 ता 25 में 9 बीघा कमाण्ड कुल तादादी 16 बीघा 6 बिस्वा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया है। जोकि अपीलांट की पात्रता से 7 बीघा कम आवंटन किया गया तथा उक्त भूमि में से मुरब्बा नम्बर 101/5 की 7 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बतौर विशेष आवंटन कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट को 23 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र मानते हुए दिनांक 08—01—1999 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से चक 3 पीएसएसएम के मुरब्बा नम्बर 101/5 के किला नम्क्बर 1 में 17 बिस्वा, किला नम्बर 2 व 9 में 2 बीघा, किला नम्बर 10 में 17 बिस्वा, किला नम्बर 11 में 17 बिस्वा, किला नम्बर 20 में 17 बिस्वा, किला नम्बर 21 में 17 बिस्वा तादादी 7 बीघा 5 बिस्वा कमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 101/14 के किला नम्बर 6, 7, 13 ता 17, 23 ता 25 में 9 बीघा कमाण्ड कुल तादादी 16 बीघा 6 बिस्वा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया है। जोकि अपीलांट की पात्रता से 7 बीघा कम आवंटन किया गया तथा उक्त भूमि में से मुरब्बा नम्बर 101/5 की 7 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बतौर विशेष आवंटन कर दिया गया। अपीलांट को उक्त रकबा आज दिनांक को भी आवंटित है तथा मौके पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट के आवंटन के राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की जिम्मेदारी राजस्व कर्मचारियों की थी।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों के बावजूद भी आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को एकतरफा तौर पर कर दिया गया। कानूनन जब एक बार किसी

आराजी का आवंटन होने के पश्चात् उसी रकबे का दुबारा आवंटन नहीं किया जा सकता। चूंकि वादगत् आराजी का आवंटन अपीलांट को हो चुका था ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट का आवंटन पश्चात्वर्ती आवंटन होने से खारिज योग्य व प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को 13—ए में किये गये दोहरे आवंटन की एवज में 7 बीघा 5 बिस्वा कमण्ड भूमि तथा पात्रता से कम आवंटित 7 बीघा भूमि इस प्रकार कुल 14 बीघा 5 बिस्वा भूमि अन्यत्र आवंटित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा आराजी जैर के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई व मात्र रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र आराजी जैर के आवंटन हेतु प्रस्तुत होने पर यह अंकित किया गया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तत तमाम सबूतों के अनुसार राजस्थान का निवासी, सद्भावी काश्तकार प्रमाण पत्र, सिलिंग सीमा की जॉच के उपरान्त आराजी जैर का आवंटन किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आराजी जैर की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवंटन पट्टा भी जारी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में आराजी जैर के संबंध में तमाम राजस्व रिकार्ड रेस्पोडेन्ट के नाम दर्जशुदा हो चुके है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश की अपील करीब 27 वर्ष उपरान्त पेश की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपने मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट/आवंटी को 23 बीघा भूमि का पात्र धोषित होने उपरान्त 16 बीघा भूमि ही आवंटित की गई। आवंटी/अपीलांट द्वारा आवंटित भूमि को स्वीकार करते हुए कब्जा ले लिया गया तथा गत् 27 साल से काश्त कर रहा है। अपीलांट ने 22 साल बाद पहली बार सहायक आयुक्त उपनिवेशन के समक्ष शेष भूमि के आवंटन का आवेदन किया। जिस पर आवंटन अधिकारी ने कार्यवाही शुरू कर दी परन्तु अभी तक अंतिम आदेश जारी नहीं किया गया है।

आवंटी का कथन है कि सन् 1991 के आदेश की जानकारी उसे 20—06—2018 को मिली। उचित नहीं है। अपीलांट को आवंटन अधिकारी के स्तर पर ही अनुताोष दिया जा सकता है तो अपील पेश करने का कोई औचित्य नहीं है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की मियांद बाहर तथा सारहीन पाये जाने पर अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर